भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/ER/RTI/PIO/2025/143

Dated : 12/03/25

To
Shri Sandeep Mishra,

Subject : **Information under RTI Act. 2005.**

Sir,

Reference is made to your RTI application nos. AAOIN/R/T/25/00052 dated 04-02-25, and AAIKO/R/T/25/00016 dated 13-02-25.

Enclosed herewith please find information which are received in respect of your above mentioned RTI applications.

Enclo : As above.

Sincerely Yours

12/03/2025

(H.S.Biswas)
General Manager(CNS-ER)/PIO-RHQ-ER,
NSCBI Airport, Kolkata-52

However, if you are not satisfied with the reply/information, you have the option to file an appeal within 30 days from the date of receipt of reply/ information to the First Appellate Authority. The details of First Appellate Authority is given below :

To
Smt Nivedita Dubey, RED(ER)/First Appellate Authority (FAA),
Airports Authority of India, Regional Head Quarters,
Eastern Region, N.S.C B.I. Airport, Kolkata-700 052.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्रमांक :भाविप्रा/रापु/ई–21 / 959 दिनांक: 11/03/2025

सेवा में,
पी आई ओ, पू.क्षे.मु.,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ने.सु.च.बो.अं. अवाई अड्डा,
कोलकाता–52

विषय:– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री संदीप मिश्रा के आवेदन क्रमांक AAOIN/R/T/25/00052 दिनांक 04/02/2025 एंव AAIKO/R/T/25/00016 दिनांक 13/02/2025 में मांगी गयी रायपुर विमानतल से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:–

Sl. No.	Sought Information	Reply
1.	Minutes of Meeting (MoM) held on 22nd November 2017 regarding land ownership issues at Bilaspur and Jagdalpur Airports, chaired by Secretary (Civil Aviation). Details of information Required; Regarding Bilaspur Airport (Point 2. Page 2) A.) The Current status of the arrangement between the Indian Army and the Airports Authority of India (AAI) concerning the usage of Bilaspur Airport, as discussed in the referenced meeting.	Minutes of Meeting (MoM) held on 22nd November 2017 regarding land ownership issues at Bilaspur and Jagdalpur Airports, chaired by Secretary (Civil Aviation) is not available at this office. NA
	B.) Step under taken to implement the decision from the referenced meeting. Wherein the Army indicated no objection to the ownership of Bilaspur Airport by AAI but required only usage rights for their operational needs.	Currently Bilaspur Airport is under ownership of Chhattisgarh Govt. Hence MoU cannot be signed between AAI and Ministry of Defense until land is transferred to AAI. Letters dt 05.11.2018, 10.05.2019, 30.08.2029, 03.10.2019, 17.01.2020, 05.02.2020, 24.03.2022, 26.05.2022, 10.10.2022, 28.11.2022, 30.11.2022, 25.01.2024 and 10.07.2024, was sent to State Govt. for Mutation of land however mutation is yet to be done. (copy of letter dt 10.07.2024 attached)
	C.) Details of the Memorandum of Understanding (MoU) or any equivalent agreement formalized between the Army and AAI following the referenced meeting, if any, including the date of execution and key terms.	No MoU signed between AAI and Army concerning Bilaspur Airport.
	D.) If the above actions are incomplete or delayed, provide reasons for the delay and details of any steps being taken to address them.	1) Delay in transferring land to AAI. 2) Reply for Letter sent on 17.10.2024 is still awaited.

संलग्न:– यथोपरि।

भवदीय,

(के.के लहरे) 11/3/25
कार्यकारी विमानपत्तन निदेशक/पीआईओ

स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर (छ.ग.)-492015, दूरभाष- 0771-2418167, फैक्स- 0771-2418168
Swami Vivekananda Airport, Raipur (C.G.)-492015, Phone - 0771-2418167, Fax. - 0771-2418168

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भा.वि.प्रा./रापु./बी.एल./39/2024/ 3537-40

दिनांक: 10.07.2024

प्रति,

अवर सचिव,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर,

नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय: चकरभाठा हवाई पट्टी जिला बिलासपुर कि भूमि का नामांतरण (Mutation) के संबंध में |

संदर्भ: 1) आपके कार्यालय का पत्र क्र. एफ 4-54/सात-1/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.06.2024

2) भा.वि.प्रा. के इस कार्यालय का पत्र क्र. भा.वि.प्रा./रापु./बी.एल./39/2024/160-162 दिनांक 25.01.2024

3) भा.वि.प्रा. के भू.प्र., निगमित मुख्यालय का पत्र क्र. AV.21012/36/2015-LM/Vol.II/438-439 दिनांक 28.11.2022

4) आपके कार्यालय का पत्र क्र. एफ 4-54/सात-1/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13.09.2022

5) भा.वि.प्रा. के भू.प्र., निगमित मुख्यालय का पत्र क्र. AV.21012/36/2015-LM/Vol.II/148-150 दिनांक 26.05.2022

6) भा.वि.प्रा. के इस कार्यालय का पत्र क्र. भा.वि.प्रा./रापु./बी.एल./39/2022/5430-32 दिनांक 24.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि संदर्भीय पत्र क्र. 2,3,5, एवं 6 द्वारा चकरभाठा हवाई पट्टी जिला बिलासपुर की भूमि अधिकार अभिलेख के अनुसार मिल्कियत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया के नाम पर 454.72 एकड़ भूमि में से 387.30 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पे दर्ज करने हेतु आवेदन दिये गए थे | (अनुलग्नक-अ)

2) आपके संदर्भित पत्र क्र. 1 के अनुसार लेख है कि ग्राम चकरभाठा कैम्प बोदरी, चकरभाठा, घमनी, तेलसरा, रहंगी स्थित रकबा 627.59 एकड़ भूमि में से रकबा 387.30 एकड़ भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम नामांतरण करने हेतु स्पष्ट आधार /प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करने का कष्ट करें या भूमि आवंटन हेतु विधिवत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें | इस संदर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज / आधार उपलब्ध है |

अ) दिनांक 11.10.2019 को रायपुर में आयोजित केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की 13वीं स्थायी समिति में निर्णय के अनुसार उक्त भूमि का नामांतरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर करने के लिए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी सहमति दे दी थी | (अनुलग्नक-ब)

ब) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना संसद के अधिनियम (अधिनियम 64 वर्ष 1985 तथा अधिनियम संख्या 55 वर्ष 1994) के अंतर्गत 1 अप्रैल 1995 को हुई थी | तदुपरान्त नागर विमानन से संबंधित सभी भूमि तथा इमारते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गयी | वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डे से संबंधित समस्त भूमि का एक मात्र कानूनी मालिक है | (अनुलग्नक-क)

क) इसके अलावा, मुंबई क्षेत्र के क्षेत्रीय एयरोड्रम नियंत्रक द्वारा डीजीसीए, भारत सरकार को संबोधित 27 फरवरी 1986 का एक पत्राचार है, उस रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 1975 में डीजीसीए को हस्तांतरित भूमि (कार्यकारी अभियंता, नागपुर सेंट्रल डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, नागपुर के रिकॉर्ड में) के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण है तथा वर्ष 1948-49 में डीजीसीए के स्टाफ क्वार्टर और एप्रोच रोड के लिए अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि का मुआवजा डीजीसीए / भारत सरकार द्वारा किया गया था | (अनुलग्नक-ड)

3) आपके कार्यालयीन पत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य शासन पुनर्वास विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. 1215/777/उन्नीस/आर.डब्लू.पी./67 दिनांक 28.06.1967 के अनुसार चकरभाठा कैम्प बोदरी, चकरभाठा, घमनी, तेलसरा,

स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर - 492015
Swami Vivekananda Airport, Raipur (C.G.)-492015
दूरभाष – 0771-2418107
Phone - 0771 - 2418107
फैक्स – 0771-2418168
Fax - 0771-2418168

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

रहंगी की भूमि 627.59 एकड़ तथा बैरक जो केन्द्र शासन के कब्जे में थी वह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन को पूर्व से हस्तांतरित की गई है परन्तु इससे संबंधित दस्तावेज की प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त भूमि का नामांतरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर दर्ज करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद !

भवदीय,

10/07/24

(डॉ. एस. डी. शर्मा)
विमानपत्तन निदेशक
भा.वि.प्रा., एस. व्ही. हवाई अड्डा, रायपुर

संलग्न : यथोपरी

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अ. हवाई अड्डा, कोलकाता – 52
2. संयुक्त महाप्रबंधक (भू.प्र.), पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अ. हवाई अड्डा, कोलकाता – 52

स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर - 492015
Swami Vivekananda Airport, Raipur (C.G.)-492015
दूरभाष – 0771-2418167
Phone - 0771 - 2418167
फैक्स – 0771-2418168
Fax - 0771-2418168

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भा.वि.प्रा./आरपीआर/भूमि/एपीडी/2024/ 4525-26 दिनांक: 17.10.2024

प्रति,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : बिलासपुर एअरपोर्ट की भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतगरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : पत्र क्र. एफ 4- 54/सात - 1/2022 दि. 21/08/2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्ग संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कृपा करे जिसके द्वारा ग्राम बोदरी, चकरभाटा, धमनी, तेलसरा, रहंगी स्थित रकबा 627.59 एकड़ भूमि तथा बैरक को राज्य शासन को हस्तांतरण के अधिकार अभिलेख की छायाप्रति प्रेषित की गई है।

उक्त संबंध में आपसे सादर अनुरोध है की आपके द्वारा उल्लेखित, मध्यप्रदेश पुनर्वास विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र.1215/777/उन्नीस/आ.डब्लू.पी./67 दिनाक 28.06.1967 की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करे। यदि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भी कोई पत्र मध्यप्रदेश पुनर्वास विभाग को लिखा गया है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध कराने की कृपा करे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(डॉ. एस. डी. शर्मा) 17.10.24
विमानपत्तन निदेशक

विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर-492015, दूरभाष : 0771-2418167 फैक्स : 0771-2418168
Airport Director, Airports Authority of India, Swami Vivekananda Airport, Raipur - 492015 Phone : 0771-2418167 Fax : 0771-2418168